न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 4/2016
प्रविष्टि दिनांक 24–3–2016

सरकार जरिए तहसीलदार पीपलू

–प्रार्थी

बनाम

1–नाथी पुत्री कल्याण जाति खाती निवासी मेहन्दवास तह0 व जिला–टोंक

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत खातेदारी निरस्त कराने बाबत रेफरेन्स

उपस्थिति :– (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय पेरोकार
(2) श्री विजयबहादुरसिंह अभिभाषक विपक्षी सं0 1 की ओर से

आदेश

दिनांक 24–2–2021

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार पीपलू द्वारा धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत खातेदारी निरस्त कराने हेतु रैफरेन्स प्रस्तुत किया गया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 3.05 वाके ग्राम ग्राम आजमपुरा तहसील पीपलू कल्याण पुत्र रामकुवार के नाम दर्ज थी। नामान्तरकरण सं0 21 दिनांक 22–10–1978 से से मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 अप्रार्थीया नाथी पुत्री कल्याण निवासी मेहन्दवास के नाम विरासत करदी गई है। यह भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 216 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय को उक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार कल्याण पुत्र रामकुवार ने आवेदन सिवायचक करने हेतु डिस्पेच सं0 1897 दिनांक 6–5–1983 के तहत खसरा गिरदावरी सम्वत 2039–42 में दर्ज कालम में आदेश 1897/एलआर/6–5–1983 से सिवायचर्क दर्ज हुई हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीया के नाम अंकित खातेदारी एंव नामान्तरणकरण 21 दिनांक 22–10–1978 को निरस्त करने हैतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षीगण की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि विवादित भूमि 216 रकबा 3.05 वाके ग्राम ग्राम आजमपुरा तहसील पीपलू कल्याण पुत्र रामकुवार के नाम दर्ज थी। नामान्तरकरण सं0 21 दिनांक 22–10–1978 से से मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 अप्रार्थीया नाथी पुत्री कल्याण निवासी मेहन्दवास के नाम विरासत करदी गई है। यह भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 216 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय को उक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार कल्याण पुत्र रामकुवार ने आवेदन सिवायचक करने हेतु डिस्पेच सं0 1897 दिनांक 6–5–1983 के तहत खसरा गिरदावरी सम्वत 2039–42 में दर्ज कालम में आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

1897/एलआर/6–5–1983 से सिवायचर्क दर्ज हुई हैं। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार कर खातेदारी निरस्त की जावे।

अप्रार्थी सं0 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में पत्रावली की ऑर्डरशीट पर अंकित किया कि विगत चार वर्ष से पक्षकार से कोई सम्पर्क नहीं है ओर ना ही पक्षकार की ओर से कोई निर्देश दिये गये है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रकरण में नियमानुसार निर्णय पारित कर दिया जावे।

राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि 216 रकबा 3.05 वाके ग्राम ग्राम आजमपुरा तहसील पीपलू कल्याण पुत्र रामकुवार के नाम दर्ज थी। नामान्तरकरण सं0 21 दिनांक 22–10–1978 से से मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 अप्रार्थीया नाथी पुत्री कल्याण निवासी मेहन्दवास के नाम विरासत करदी गई है। यह भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 216 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय को उक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार कल्याण पुत्र रामकुवार ने आवेदन सिवायचक करने हेतु डिस्पेच सं0 1897 दिनांक 6–5–1983 के तहत खसरा गिरदावरी सम्वत 2039–42 में दर्ज कालम में आदेश 1897/एलआर/6–5–1983 से सिवायचर्क दर्ज हुई हैं। हस्तगत प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रकरण भू आवण्टन नियम 1970 से सम्बन्धित है। अतः प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 निरस्त किया जाकर प्रकरण पीपलू को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवण्टन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया जावें।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner